>

Title: Regarding alleged irregularities in admission to Medical Colleges in the country.

श्री राजनारायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ0प्र0) : अध्यक्ष महोदय, मैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में इंटरनेशनल मेडिकल एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा एमबीबीएस की शिक्षा लेने गए हजारों छात्रों के साथ भारी धोखाधड़ी का मामला आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा। सितम्बर 2001 में एमबीबीएस छात्रों का प्रवेश भारी रकम लेकर यह कहकर दिया गया कि आपको यहीं से पूर्ण शिक्षा देकर एमबीबीएस की डिग्री दी जाएगी, जो कि मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया में रजिस्टर्ड होकर स्क्रीन टेस्ट देने हेतु मान्य होगी, लेकिन सितम्बर 2001 से वर्ष 2004 तक की शिक्षा गुंटूर में कराने के बाद, आगे की पढ़ाई हेतु छात्रों को दो वर्ष की शिक्षा के लिए तंजानिया भेज दिया गया। छात्रों ने जहां से कालेज प्रबंधन के द्वारा इंटरनेशनल मेडिकल एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश द्वारा 2004 तक जो पढ़ाई की है, वह उसका प्रमाण-पत्र छात्रों को जारी नहीं कर रहा है, जिसके कारण हजारों छात्रों का रजिस्ट्रेशन, मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, डाक्टर के रूप में नहीं कर रही है। इस वजह से सभी छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। यह भी संज्ञान में आया है कि उपरोक्त संस्थान अपने लाभ के लिए गुंटूर के इंटरनेशनल मेडिकल एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर कस्तूरी मेडिकल कालेज करा करके नये नाम से रजिस्ट्रेशन करा रही है।

महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि संपूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करा कर, दोषी कालेज प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही करके, एमबीबीएस की शिक्षा प्राप्त करने गए मेडिकल छात्रों का कालेज प्रबंधन द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करा कर, मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया को रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कराने के निर्देश दिए जाएं, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य खराब होने से बच सके। इस प्रकरण को कुछ छात्रों द्वारा हैदराबाद हाई कोर्ट में उठाए जाने पर हैदराबाद हाई कोर्ट ने छात्रों के हित में निर्णय भी दिया है, लेकिन एमसीआई सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले को उलझाना चाहती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में हजारों छात्रों को न्याय देने की कृपा करें।